

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी/2019/ ५१४

दिनांक: १९/६/१९

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:—चिकित्सा संस्थानों के क्षेत्र में साप्ताहिक एण्टीलार्वल गतिविधियों सम्पन्न करवाने के क्रम में।

संदर्भ— निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 266, 267 व 268 दिनांक 12.04.2019 एवं 347 दिनांक 29.05.2019 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों पर साप्ताहिक एण्टीलार्वल गतिविधियां सम्पादित की जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु माहवार निम्नानुसार साप्ताहिक एण्टीलार्वल गतिविधियां सम्पादित करवाकर रिपोर्ट निदेशालय को प्रपत्र 7 में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.स.	माह	सप्ताह
1	जून	चतुर्थ (दिनांक 24.6.19 से 30.6.2019)
2	जुलाई	प्रथम (दिनांक 8.7.19 से 14.7.2019) व चतुर्थ (दिनांक 22.7.19 से 28.7.2019)
3	अगस्त	प्रथम (दिनांक 5.8.19 से 17.8.2019) व तृतीय (दिनांक 19.8.19 से 25.8.2019)
4	सितम्बर	प्रथम (दिनांक 2.9.19 से 8.9.2019) व तृतीय (दिनांक 16.9.19 से 22.9.2019)
5	अक्टूबर	तृतीय (दिनांक 14.10.19 से 20.10.2019) व चतुर्थ (दिनांक 21.10.19 से 27.10.2019)
6	नवम्बर	प्रथम (दिनांक 4.11.19 से 10.11.2019) व तृतीय (दिनांक 18.11.19 से 24.11.2019)
7	दिसम्बर	प्रथम (दिनांक 2.12.19 से 8.12.2019) व तृतीय (दिनांक 16.12.19 से 22.12.2019)

(डा० रवि प्रकाश शर्मा)
अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

दिनांक: १९/६/१९

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी/2019/ ५१४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, निदेशक (जन०स्वा०), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. प्रभारी सर्वर को संबंधित को ई-मेल व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
4. कार्यालय प्रति।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर